



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1947 (श0)

(सं0 पटना 1454) पटना, बुधवार, 3 सितम्बर 2025

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

2 सितम्बर 2025

सं० वि०प्रा० (I) स्था०-06/2014 (पार्ट)-4872—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। —

- (1) यह नियमावली बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार सरकार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीनस्थ राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों तक रहेगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के नियम-9 में संशोधन।—

- (1) उक्त नियमावली के नियम-9 के उप नियम-(3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा।—

“(3) इस सेवा के सदस्यों को उच्चतर पदों पर प्रोन्नति, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से देय होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना निम्नवत् होगी :-

- | | |
|--|-----------|
| (i) विकास आयुक्त,
बिहार, पटना। | — अध्यक्ष |
| (ii) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना। | — सदस्य |
| (iii) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, बिहार, पटना। | — सदस्य |
| (iv) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, | — सदस्य |

वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना।

- (v) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, — सदस्य
प्रशासी विभाग, बिहार, पटना।
- (vi) वित्त विभाग, बिहार, पटना का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव से — सदस्य
अन्यून स्तर का हों।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का एक पदाधिकारी, जो — सदस्य
संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हों।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मनोनित अनुसूचित — सदस्य
जाति/अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव
से अन्यून स्तर का हों।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मनोनित अल्पसंख्यक — सदस्य
समुदाय का एक पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का
हों।
- (x) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के प्रावधानों के — सदस्य
अनुरूप तीन विशेषज्ञ, जिनमें से संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ, जो
विभाग द्वारा मनोनित किया जाएगा।

(2) उक्त नियमावली के नियम-9 के उप नियम-(3) के बाद उप नियम (4), (5) एवं (6) निम्नवत् जोड़ा जायेगा।—

“(4) बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम-7(स) में विहित प्रावधान के आलोक में सेवा के उच्चतम वेतनमान के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में गठित की जायेगी।

(5) विभागीय प्रोन्नति समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रोन्नति के प्रस्तावों की जाँच कर अपनी अनुशंसा उपलब्ध करायेगी।

(6) विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना, समय-समय पर सरकार द्वारा किये गए संशोधन आदेश से, आच्छादित होगी एवं ऐसे आदेश के निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।”

3. बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के नियम-10 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-10 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा।—

“10. **स्थापना संबंधी कार्यो का नियंत्रण।—** (1) इस सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, प्रोन्नति, पदस्थापन, स्थानान्तरण, सेवा सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य नियुक्ति प्राधिकार के नियंत्रणाधीन होगा।

(2) (क) **(I)** इस सेवा के सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों को बिपार्ड द्वारा आयोजित 02 (दो) सप्ताह का प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक होगा।

(II) कोषागार प्रशिक्षण— परिवीक्षा अवधि में व्याख्याता, विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य को 02 (दो) सप्ताह का कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कोषागार प्रशिक्षण संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

(III) सेवा सम्पुष्टि— बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्ती से नियुक्त व्याख्याता, विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य की सेवा निम्न अपेक्षाएँ पूरी करने के उपरान्त सम्पुष्ट की जा सकेगी:—

- (i) यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के सभी चरण को सफलतापूर्वक पूरा करना, जिसमें इन चरणों में संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा/Assignment पूरा करना सम्मिलित होगा,
- (ii) संबंधित सेवा/संवर्गीय नियमावली में यथानिर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करना।

- (iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा यथानिर्धारित 8 (आठ) Online modules of MOOCs in SWAYAM अथवा कोई अन्य निर्धारित अपेक्षा पूरा करना।
- (IV) सेवा सम्पुष्टि से संबंधित कठिनाईयों का निराकरण – सेवा सम्पुष्टि के संबंध में उत्पन्न किसी कठिनाई/शंका का निराकरण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग अथवा विधि विभाग के परामर्श से किया जा सकेगा।
- (ख) उपरोक्त उपनियम-(2)(क) के प्रावधान इस संशोधन की तिथि के उपरांत नियुक्त कर्मियों पर लागू होंगे।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अहमद महमुद,
अपर सचिव-सह-निदेशक।

The 2nd September 2025

No. वि०प्रा०(I)स्था०-06/2014 (पार्ट)/4872--In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, hereby is pleased to amend the Bihar Polytechnic Education Service Rules, 2020. For this purpose the following rules are made :-

1. Short Title, Extent and Commencement.-

- (1) These Rules shall be known as **Bihar Polytechnic Education Service(Second Amendment) Rules, 2025**
- (2) It shall extend to all the Govt. Polytechnics/Govt. Women's Polytechnics Institutions under the Department of Science, Technology and Technical Education, Govt. of Bihar, in the whole state of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Amendment in rule 9 of the Bihar Polytechnic Education Service Rules,2020. -

(1) Sub-rule (3) of rule-9 of the said rule shall be substituted as follows:-

" (3) Promotion to higher posts to the members of this service shall be payable on the recommendation of the Departmental Promotion Committee. The composition of the Departmental Promotion Committee shall be as follows:-

(i)	Development Commissioner, Bihar, Patna.	-	Chairman
(ii)	Secretary /Principal Secretary /Additional Chief Secretary, Co-operative Department, Bihar, Patna.	-	Member
(iii)	Secretary /Principal Secretary /Additional Chief Secretary, Animal Husbandry and Fisheries Department, Bihar, Patna.	-	Member
(iv)	Secretary /Principal Secretary /Additional Chief Secretary, Forest and Environment Department, Bihar, Patna.	-	Member
(v)	Secretary /Principal Secretary /Additional Chief Secretary, Department of Science, Technology and Technical Education, Bihar, Patna.	-	Member
(vi)	A representative of the Finance Department, Bihar, Patna, not below the rank of Joint Secretary.	-	Member
(vii)	One Member Officer not below the rank of Joint Secretary, General Administration Department, Bihar, Patna.	-	Member

(viii)	An officer of SC/ST, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by General Administration Department, Bihar, Patna.	-	Member
(ix)	An officer from the minority community not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by General Administration Department, Bihar, Patna.	-	Member
(x)	Three experts, out of which two shall be experts in the concerned subject, to be nominated by the Department, as per the provisions of All India Council for Technical Education, New Delhi.	-	Member

(2) Sub-rule (4), (5) and (6) shall be added after Sub-rule (3) of rule-9 of the said rule as follows:-

- “(4) In the light of the provision contained in Regulation-7 (c) of the Bihar Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1957, a Departmental Promotion Committee for promotion to the post in the highest pay scale of the service shall be constituted under the chairmanship of a Member of the Bihar Public Service commission.
- (5) The Departmental Promotion Committee shall examine the Promotion proposals on the basis of the norms prescribed by the General Administration Department, Bihar, Patna and All India Council for Technical Education and submit its recommendations.”
- (6) The composition of the Departmental Promotion Committee shall be governed by such orders as may be amended by the Government from time to time and shall be effective from the date of issue of such orders.

3. Substitution of rule 10 of the Bihar Polytechnic Education Service Rules, 2020.- Rule 10 of Bihar Polytechnic Education Service Rules, 2020 shall be substituted as follows:-

- “10. **Control of Establishment related matters.-** (1) Appointment, Promotion, posting, transfer, confirmation of service, maintenance of seniority-list and all matters related to establishment shall be under the control of the Appointing Authority.
- (2) (A) (I) Directly recruited officers to the service shall be required to undergo 02 (Two) weeks induction training conducted by the BIPARD.
- (II) **Treasury Training-** It will be mandatory for Lecturers, Head of the Department and Principal to undergo treasury training for 02 (two) weeks during the Probation period. Treasury training will be given by the concerned District Treasury Officer.
- (III) **Service Confirmation-** The service of Lecturers, Head of the Department and Principals appointed by direct recruitment on the recommendation of Bihar Public Service commission can be confirmed after fulfilling the following requirements:-
- (i) Successfully completing all the stages of induction training as prescribed which shall include completion

- of Examinations / Assignments as prescribed by the concerned Training Institute in these stages.
- (ii) Fulfill other requirements as prescribed in the relevant Service / Cadre Rules.
 - (iii) Fulfilling 8 (Eight) online modules of MOOCs in SWAYAM or any other requirement as prescribed by All India Council for Technical Education.
 - (IV) **Resolution of Difficulty related to Service Confirmation:-**Any difficulty /doubt arising in relation of service confirmation can be resolved by the Department in consultation with the Finance Department, General Administration Department or Law Department as required.
- (B) The Provisions of sub- section (2)(A) above shall apply to employees appointed after the date of this amendment."

**By the Order of the Governor of Bihar,
Ahmad Mahmood,
Additional Secretary-cum-Director.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1454-571+500-डी0टी0पी0 ।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>